उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या 17/2017/286/41-2017-95 यो/2017

लखनऊः दिनाँकः 27 मार्च, 2017

शासनादेश संख्या-15/2017/123/41-2017-95 यो0/2016, दिनाँक 24 मार्च, 2017

<u>का शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से मद सं0 08-पर्यटन स्थलों का विकास में रू0 443.31 लाख (रूपये चार करोड़ तैंतालीस लाख इकतीस हजार मात्र) तथा मद सं0 14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलो पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास में धनराशि रू0 46.26 लाख (रूपये छियालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-15/2017/123/41-2017-95 यो0/2016, दिनाँक 24.03.2017 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-2 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-13 में अंकित योजना जनपद मुजफ्फर नगर के शुक्रताल में स्नानघाट के सामने नदी के तल को ऊचा करने की परियोना हेतु स्तम्भ 5 में कार्यदायी संस्था का नाम त्रुटिवश उ0प्र0 प्रोजेक्ट करापोरेशन लि0, लखनऊ के स्थान पर सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग, उ0प्र0 अंकित हो गया है।

3- अतः उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-2 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-13 में अंकित योजना जनपद मुजफ्फर नगर के शुक्रताल में स्नानघाट के सामने नदी के तल को ऊचा करने की परियोना हेतु स्तम्भ 5 में अंकित कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग, उ0प्र0 के स्थान पर उ0प्र0 प्रोजेक्ट करापोरेशन लि0, लखनऊ पढा जाय।

उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 24.03.2017 में अंकित शेष शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव

<u>संख्या 17/2017/286(1)/41-2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0 10277/6-1-1 (699)बजट/2017, 27.03.2017 के क्रम में।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, बरेली।
4- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को सूचनार्थ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- उक्त आदेश की एक-एक प्रति योजना से सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित किये जाने हेतु।
12- गार्ड-फाइल।

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in